

( राजस्थान-सरकार )  
**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां**

**पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)**

**इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 01/2022**

**इस्तगासा गुण्डा एक्ट रजिस्ट्रेशन सं० :- 2022/4**

**बउनवान**

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक, बारां  
(सायल)

**बनाम**

सोनू उर्फ सुनिल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारां  
(गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3**

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)

2- स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 21.03.2022**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल सोनू उर्फ सुनिल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू जिला बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ एक्ट, छेड़खानी, मारपीट व गृहभेदन जैसे अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना अटरू जिला बारां में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(10) एवं आईपीसी(02) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(05) एवं आईपीसी(01) के तहत कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासे प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दिनांक 19.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि** चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू जिला बारों में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(10) एवं आईपीसी(02) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(05) एवं आईपीसी(01) के तहत कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसकी दिनों-दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

**गैरसायल के द्वारा** स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे विरुद्ध नया कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं शांतिपूर्वक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना अटरू जिला बारों द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त की जावे।

**अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल** की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना अटरू जिला बारों में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(10) एवं आईपीसी(02) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(05) एवं आईपीसी(01) के तहत कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि सोनू उर्फ सुनिल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल सोनू उर्फ सुनिल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अटरू जिला बारों से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल सोनू उर्फ सुनिल पुत्र घांसीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अटरू जिला बारों क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 06.04.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारों क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **21.03.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

( बृजमोहन बैरवा )  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों